भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3092**
दिनांक 4 अगस्त , 2016 / 13 श्रावण, 1938 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवाएं

3092. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल:
श्री दुष्यंत चैटाला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्घटना और आपात स्थलों पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर आपात स्वास्थ्य सेवा के रूप में एयर एम्बुलेंस का उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार हैलीकॉप्टर आपात्त चिकित्सा सेवाओं (HEMS) के अंतर्गत किए जाने वाले प्रचालनों की प्रकृति सर्वथा भिन्न होने के कारण वायु रक्षा क्लीयरेंस के अलावा दुर्घटना तथा आपात्त स्थल पर अवतरण सहित किसी भी एजेंसी से किसी प्रचालनात्मक क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हैलीकॉप्टर आपात्त चिकित्सा सेवाओं (HEMS) के प्रचालनों के लिए कोई अवतरण प्रभार तथा मार्ग दिक्कचालन सुविधा प्रभार (RNFC) नहीं लिए जाएगें । नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा एयरो चिकित्सा परिवहन AMT) के प्रचालन के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं (CAR) जारी की गई हैं तथा नागर विमानन अपेक्षाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान हैलीकॉप्टर आपात्त चिकित्सा सेवाओं के प्रचालनों के लिए भी लागू हैं । नागर विमानन महानिदेशालय ने हैलीकॉप्टर आपात्त चिकित्सा सेवाओं के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2016 का प्रचालन परिपत्र क्रमांक 02/2016 जारी किया है ।

*****